कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं0—09 / उपा0बीज अनु0—61 / 2010 4989 / कृ0 पटना, दिनांक 29-11- 2016

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा0 प्र0 से0
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स नार्दन एग्रो सीड्स प्रोडक्टस,
दिग्घी तलाब गया।

विषय : **अनुज्ञप्ति रद्द करने के संबध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आपके प्रतिष्ठान के राज्यस्तरीय बीज अनुज्ञप्ति संख्या—230 / 2011 वैधता तिथि 16.05.2014 के वैधता समाप्ति तिथि तक अनुज्ञप्ति नवीकरण संबंधी कागजात एवं शुल्क अद्यतन उपलब्ध नहीं कराया गया है। लगभग पाँच माह विलम्ब से आवेदन समर्पित किया गया है। वैधता अवधि समाप्ति के पश्चात एक माह के अन्दर विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन समर्पित किये जाने का प्रावधान है। इसलिए निर्धारित अवधि तक बीज अनुज्ञप्ति नवीकरण का आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण आपके अनुज्ञप्ति संख्या—230 / 2011 को वैधता अवधि समाप्ति की तिथि से रद्द किया जाता है।

विश्वासभाजन
24.11.16
(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :— 4989 / कृ0, पटना, दिनांक 29-11- 2016

प्रतिलिपिः— 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान / सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) / उप निदेशक (शष्य) बीज / उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय / उप निदेशक (शष्य) फसल / उप निदेशक (शष्य) तेलहन / उप निंदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण / उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक) / सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि यदि उक्त प्रतिष्ठान द्वारा राज्य अन्तर्गत बीज का व्यवसाय किया जाय तो अवैध व्यपार मानते हुए बीज नियंत्रण आदेश 1983 के आलोक में कार्रवाई की जाय।

2. आई02टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड एवं ई—मेल करने हेतु प्रेषित।

24.11.16
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।